न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, बूंदी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	आदित्य वशिष्ठ, आर.जे.एस.
दीवानी वाद संख्या–	:	13/2023
सी.आई.एस. सं.	:	13/2023
सीएनआर	:	RJBD040000262023

1. सीता बैवा हरजी,
2. कमलेश पुत्री हरजी,
3. भंवरलाल पुत्र हरजी,

निवासीगण – ग्राम गरनारा, तहसील एवं जिला बूंदी (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर, बूंदी (राज.)
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बूंदी (राज.)
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गरनारा तहसील एवं जिला बूंदी (राज.)
4. तहसीलदार, बूंदी तहसील एवं जिला बूंदी (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा, घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

01 श्री महेश शर्मा अधिवक्ता, वादीगण की ओर से.

02 श्री भूपेंद्र सहाय सक्सेना अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक : 23.04.2026

:: निर्णय ::

1. इस प्रकरण का उद्भव वादीगण की ओर से वादपत्र दिनांक 27.01.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से हुआ, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी संख्या 1 के पति तथा 2 लगायत 3 के पिता स्व. हरजी को प्रतिवादी संख्या 1 एवं 4 द्वारा खसरा संख्या 771/506 रकबा 1.2535 है. वाके ग्राम गरनारा तहसील एवं जिला बूंदी करीब 50 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी। हरजी का देहांत होने के पश्चात उक्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है, जिसकी चतुर्सीमा वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णितानुसार स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर–ट्रोली लाने–ले–जाने, फसल काटने, थ्रेसर आदि कृषि उपकरण लाने–ले–जाने हेतु करीब 40 वर्षों से अधिक समय से लगातार रूप से खसरा संख्या 509 देवरा देवजी की भूमि 0.1999 है. को छोडकर उत्तर दिशा की तरफ खसरा संख्या 507 के मध्य भाग से रास्ता निकला हुआ है। उक्त रास्ते का

उपयोग–उपभोग पूर्व में वादी क्रम 1 के पति व वादी क्रम–2 व 3 के पिता तथा उनके देहांत के पश्चात् वादीगण निरंतर रूप से करते चले आ रहे हैं। उक्त खसरा संख्या 507 के मध्य भाग से वादीगण की भूमि में जाने वाले रास्ते का उपयोग वादीगण शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी रूकावट के 40 वर्षों से अधिक अवधि से शांति पूर्व ढंग से करते चले आ रहे हैं तथा उक्त खसरा संख्या 507 रिकोर्ड में बरडा दर्ज रहा है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादीगण की भूमि में आने–जाने, ट्रेक्टर–ट्रोली लाने–ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उक्त खसरा संख्या 507 में स्थित रास्ते के अलावा नहीं हैं तथा उक्त भूमि खसरा संख्या 507 में वादीगण को अपनी कृषि भूमि हेतु मार्ग का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 507 रकबा 2.0686 है. किस्म गै. मु. बरहा में से 2.000 है. भूमि वाके ग्राम गरनारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को भवन व खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बूंदी द्वारा आवंटित कर दिया गया है। वादीगण की कृषि भूमि में जाने, ट्रेक्टर ट्रोली लाने–ले–जाने हेतु उक्त खसरा संख्या 507 में से होकर रास्ता करीब 25 फीट चौड़ा बना हुआ है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 508 से खसरा संख्या 507 में होकर वादी की भूमि में जाता है। खसरा संख्या 507 प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा माध्यमिक शिक्षा को विद्यालय एवं खेल मैदान हेतु आवंटित कर दिए जाने के कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 खसरा संख्या 508 से खसरा संख्या 507 में से वादीगण की भूमि में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया तो वादीगण उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को काश्त नहीं कर पाएंगे, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि उपकरण आदि नहीं ले जा पाएंगे तथा वादीगण के लिए उनकी कृषि भूमि पर काश्त करना मुश्किल हो जाएगा। वादीगण स्वर्गीय हरजी को आवंटित की गई भूमि में आवंटन दिनांक से निरंतर रूप से उक्त रास्ते में होकर बिना किसी रुकावट के प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की जानकारी में उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वाद कारण दिनांक 06.12.2022 को प्रतिवादी क्रम 1 व 4 के अधीनस्थ द्वारा विघालय को आवंटित भूमि का गलत रूप से नाप करने

तथा रास्ते की भूमि से वादीगण को बेदखल करने हेतु रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी देने से निरंतर उत्पन्न हो रहा है। अतः वादीगण को वादपत्र के अनुतोष खंड में वर्णितानुसार वांछित अनुतोष दिए जाने का निवेदन किया गया। उक्त वादपत्र के समर्थन में वादीगण बृजराज सिंह द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया।

2. उक्त वाद पत्र का जवाब वादपत्र प्रतिवादीगण ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित लगभग सभी कथनों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि वादीगण का कोई रास्ता तथाकथित नहीं है तथा जब खसरा नंबर 507 में रास्ता ही नहीं है तो निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार वादीगण को प्राप्त नहीं है। वाद आवश्यक प्रकृति का नहीं है। अन्य आक्षेप में कथन किया है कि जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश क्रमांक–प–12 / 3268 राजस्व / 2022–1411–17 दिनांक 17.10.2022 को रा.उ.मा.वि. गरनारा को खसरा नंबर 507 रकबा 2.066 हेक्टेयर किस्म गै.मु.बरडा में से 2.000 भूमि आवंटित हुई थी। उक्त भूमि पर वादीगण को रास्ता कायम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश की पालनार्थ रा.उ.मा.वि. गरनारा द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार, बूंदी द्वारा गठित टीम से दिनांक 31.01.2023 को करवाया गया। गठित टीम द्वारा खसरा नंबर 507 के चारों ओर जेसीबी मशीन से खाई खुदवाकर विद्यालय को दिनांक 31.01.2023 को कब्जा संभला दिया। इस प्रकार उक्त भूमि पर रा.उ.मा.वि. गरनारा का आधिपत्य है। वादीगण को खसरा नंबर 507 में रास्ता हेतु कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत वाद में धारा 80 जा.दी. के नोटिस की पालना नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में वाद नोटिस के अभाव में पोषणीय नहीं है। अतः वादीगण का वाद मय हर्जा खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

3. पक्षकारान् के उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2023 को निम्न विवाद्यक विरचित किये गये –

(1) आया वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 507 के मध्य भाग में रास्ता निकला हुआ है जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण 40 वर्षों से लगातार शांतिपूर्वक अपनी भूमि में जाने हेतु कर रहे हैं,

जिसका वादीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त है ?

—वादीगण

(2) आया वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र के अनुतोष खंड / प्रार्थना में वर्णित वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

—वादीगण

(3) आया वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर उक्त विवादग्रस्त रास्ते बाबत् मार्ग का सुखाधिकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

—वादीगण

(4) आया वादीगण, दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर देवे तो उक्त रास्ता बहाल करवाने के अधिकारी हैं ?

—वादीगण

(5) आया वादीगण का वाद, धारा 80 जा.दी. के नोटिस की पालना के अभाव में पोषणीय नहीं है ?

—प्रतिवादीगण

(6) अनुतोष ?

4. वादीगण द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में भंवरलाल गवाह पी.ड.1, सीता गवाह पी.ड.2, कमलेश गवाह पी.ड.3 के रूप में परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में खाता संख्या नया 108 वाके गरनारा डिजिटल जमाबंदी प्रदर्श—1, खसरा नक्शा प्रदर्श—2, खाता संख्या नया की जमाबंदी प्रदर्श—3 को प्रदर्शित करवाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.ड.1 नवनीत जैन, गवाह डी.ड.2 अजय कुशवाह को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में खसरा संख्या 507 का आवंटन आदेश प्रदर्श—ए1, नक्शा ट्रेस की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श—ए2, जमाबंदी की डिलीटल प्रतिलिपि प्रदर्श—ए3, नकल नामांतरणकरण प्रदर्श—ए4, नकल फर्द मौका रिपोर्ट प्रदर्श—ए5, नकल मौका पर्चा सीमाज्ञान प्रदर्श—ए6 को प्रदर्शित करवाया गया है।

5. बहस अंतिम उभयपक्षकारान् की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया गया कि वादी संख्या 1 के पति तथा 2 लगायत 3 के पिता स्व. हरजी को प्रतिवादी संख्या 1 एवं 4 द्वारा खसरा संख्या 771/506 रकबा 1.2535 है. वाके ग्राम गरनारा तहसील एवं जिला बूंदी करीब 50 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी। हरजी का देहांत होने के पश्चात उक्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर–ट्रोली लाने–ले–जाने, फसल काटने, थ्रेसर आदि कृषि उपकरण लाने–ले–जाने हेतु करीब 40 वर्षों से अधिक समय से लगातार रूप से खसरा संख्या 509 देवरा देवजी की भूमि 0.1999 है. को छोडकर उत्तर दिशा की तरफ खसरा संख्या 507 के मध्य भाग से रास्ता निकला हुआ है, जिसका उपयोग–उपभोग पूर्व में वादी क्रम 1 के पति वादी क्रम–2 व 3 के पिता तथा उनके देहांत के पश्चात् वादीगण निरंतर रूप से करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि में आने–जाने, ट्रेक्टर–ट्रोली लाने–ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उक्त खसरा संख्या 507 में स्थित रास्ते के अलावा नहीं हैं तथा उक्त भूमि खसरा संख्या 507 में वादीगण को अपनी कृषि भूमि हेतु मार्ग का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 507 रकबा 2.0686 है. किस्म गै. मु. बरहा में से 2.000 है. भूमि वाके ग्राम गरनारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन व खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बूंदी को आवंटित कर दिया गया है। वादीगण की कृषि भूमि में जाने, ट्रेक्टर ट्रोली लाने–ले–जाने हेतु उक्त खसरा संख्या 507 में से होकर रास्ता करीब 25 फीट चौड़ा बना हुआ है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 508 से खसरा संख्या 507 में होकर वादी की भूमि में जाता है। खसरा संख्या 507 प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा माध्यमिक शिक्षा को विद्यालय एवं खेल मैदान हेतु आवंटित कर दिए जाने के कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 खसरा संख्या 508 से खसरा संख्या 507 में से वादीगण की भूमि में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे को डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस यह

तर्क दिया गया कि वादीगण का कोई तथाकथित रास्ता नहीं है। जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश दिनांक–17.10.2022 के द्वारा रा.उ.मा.वि. गरनारा को खसरा नंबर 507 रकबा 2.066 हेक्टेयर किस्म गै.मु.बरडा में से 2.000 भूमि आवंटित हुई थी, जिस पर रास्ता कायम करने का वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश की पालनार्थ रा.उ.मा.वि. गरनारा द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार, बूंदी द्वारा गठित टीम से दिनांक 31.01.2023 को करवाया गया। गठित टीम द्वारा खसरा नंबर 507 के चारों ओर जेसीबी मशीन से खाई खुदवाकर विद्यालय को दिनांक 31.01.2023 को कब्जा संभला दिया। ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

8. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के आलोक में संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्षकारान् के अभिवचनों व प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक विवाद्यक बिन्दुओं पर इस न्यायालय का विनिश्चय निम्नप्रकार से है :–

9. <u>विवाद्यक संख्या–1 व 3 :–</u>

विवाद्यक संख्या– 1 व 3 इस प्रकार से है कि :–

(1) आया वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 507 के मध्य भाग में रास्ता निकला हुआ है जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण 40 वर्षों से लगातार शांतिपूर्वक अपनी भूमि में जाने हेतु कर रहे हैं, जिसका वादीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त है ?

–वादीगण

(3) आया वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर उक्त विवादग्रस्त रास्ते बाबत् मार्ग का सुखाधिकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

–वादीगण

उक्त दोनों बिन्दुओं के आपस में एक–दूसरे से संबंधित होने, सुविधा की दृष्टि एवं दोहराव से बचने के लिए उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। उक्त दोनों बिन्दुओं को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो वादीगण द्वारा वादपत्र इस बाबत पेश किया गया है कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित

भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को 50 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी, जिसकी चतुर्सीमा वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार है। वादीगण उक्त भूमि में आने–जाने हेतु 40 वर्षों से भी अधिक समय से वादपत्र की मद संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 507 में स्थित रास्ते को शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करते चले आ रहे हैं। उनके पास अपनी उक्त भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 507 रकबा 2.0686 है. किस्म गै.मु.बरडा में से 2.000 है. भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को भवन व खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बूंदी द्वारा आवंटित कर दिया गया है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 508 से खसरा संख्या 507 में होकर वादीगण की भूमि में जाता है। ऐसे में वादीगण द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में सुखाधिकार घोषित करवाए जाने, रास्ता बहाल करवाए जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए जाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा पेश किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में स्वयं को गवाह के तौर पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जिनके द्वारा अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में वादपत्र में वर्णित तथ्यों की ही मुख्य तौर पर पुनरावृत्ति की गई है। साथ ही उनके द्वारा खाता संख्या नया 108 वाके गरनारा डिजिटल जमाबंदी प्रदर्श–1, खसरा नक्शा प्रदर्श–2, खाता संख्या नया की जमाबंदी प्रदर्श–3 को भी न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। परंतु सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से खसरा संख्या 507 की भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ते की होना प्रकट नहीं होती है। अपितु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा संख्या 507 का आवंटन आदेश प्रदर्श–ए1 के अवलोकन से खसरा संख्या 507 की किस्म गैर मुमकिन बरडा होना प्रकट होती है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से वादीगण वादपत्र में वर्णितानुसार खसरा संख्या 507 में स्थित तथाकथित रास्ते को 40 वर्षों से भी अधिक समय से स्वयं की कृषि भूमि में आने–जाने हेतु उपयोग में ले रहे हों, ऐसा भी प्रकट नहीं होता है। ना ही वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों को साबित करने हेतु न्यायालय के समक्ष किसी स्वतंत्र गवाह को पेश कर परीक्षित करवाया गया

है।

10. इसी क्रम में आगे देखा जाए तो वादी संख्या 3 भंवरलाल जो कि न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड.1 के तौर पर परीक्षित हुआ है, उसने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि उसे विद्यालय की जमीन पर आने–जाने का अधिकार नहीं है। साथ ही जहां तक वादीगण द्वारा वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अपनी भूमि में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 507 में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने का जो कथन वादपत्र में किया गया है तो इस संबंध में उक्त गवाह द्वारा दौराने जिरह किए गए कथनों का अवलोकन करें तो उसने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि वह अपने खाते की कृषि भूमि से प्रदर्श–2 में से अंकित खसरा संख्या 509 की 'एक्स' तथा 'वाई' की मेर पर आ सकता है, फिर कहा कि 'एक्स' मेर से ही आ सकता हूं। 'वाई' पर बाउंड्री की हुई है। उसके पास आने–जाने के लिए आवागमन के लिए 'एक्स' स्थान का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे में वादीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हो, ऐसा भी गवाह पी.ड.1 द्वारा किए गए उक्त कथनों से प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार वादी गवाह पी.ड.2 सीता के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने भी दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श–2 में राजस्व रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। साथ ही उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि तीन साल पहले विद्यालय बना था तो अपनी बाउंड्री पर खाई खोद दी थी। खाई के अंदर–अंदर की जमीन विद्यालय है। ऐसे में उक्त गवाह ने भी खसरा नक्शा प्रदर्श–2 में वर्णितानुसार राजस्व रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद ना होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार वादी गवाह पी.ड.3 कमलेश के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने भी दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्श–2 के अनुसार स्कूल की जमीन पर आने–जाने का कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। साथ ही उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब स्कूल बनाया गया था, तब स्कूल की बाउंड्री बनवाकर खाई खोद दी गई थी। उसके जमीन से चार–पांच खेतों की मेरें मिली हुई हैं। प्रदर्श–2 503, 506, 505, 510, 572 खसरा सं. के काश्तकार भी एक–दूसरों की मेरों

पर होकर निकलते हैं। डूंगर पर जाने के लिए काश्तकार एक–दूसरे की मेर से होकर जाते हैं। ऐसे में उक्त गवाह द्वारा भी उसकी जमीन से चार–पांच खेतों की मेरें मिली हुई होने एवं काश्तकारों द्वारा अपने खसरे की जमीनों पर एक–दूसरे की मेरों से होकर निकलने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। साथ ही उसने भी खसरा नक्शा प्रदर्श–2 के अनुसार स्कूल की जमीन पर आने–जाने का कोई रास्ता बना नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया है।

11. ऐसे में उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार वादीगण पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से वादपत्र में वर्णितानुसार खसरा संख्या 507 में कोई रास्ता विद्यमान हो एवं वादीगण खसरा संख्या 507 की भूमि में स्थित उस रास्ते का 40 वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग–उपभोग स्वयं की भूमि में आने–जाने हेतु कर रहे हों, यह तथ्य साबित करने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के आलोक में वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 507 के मध्य भाग में रास्ता निकला हुआ हो, जिसका वादीगण 40 वर्षों से लगातार शांतिपूर्वक अपनी भूमि में जाने हेतु उपयोग–उपभोग कर रहे हों एवं जिसका वादीगण को सुखाधिकार प्राप्त हो, यह तथ्य वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे में वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर उक्त खसरा संख्या 507 में स्थित तथाकथित विवादग्रस्त रास्ते बाबत् मार्ग का सुखाधिकार घोषित करवाने के अधिकारी होना भी नहीं पाए जाते हैं। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवाद्यक संख्या 1 व 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किए जाते हैं।

12. <u>विवाद्यक संख्या–2 व 4 :–</u>

विवाद्यक संख्या–2 व 4 इस प्रकार से है कि :–

(2) आया वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र के अनुतोष खंड / प्रार्थना में वर्णित वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

–वादीगण

(4) आया वादीगण, दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त रास्ते

को अवरूद्ध कर देवे तो उक्त रास्ता बहाल करवाने के अधिकारी हैं ?

—वादीगण

उक्त दोनों बिन्दुओं के आपस में एक—दूसरे से संबंधित होने, सुविधा की दृष्टि एवं दोहराव से बचने के लिए उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। उक्त दोनों बिन्दुओं को साबित करने का भार वादीगण पर था। परंतु चूंकि उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 व 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किए गए हैं। ऐसे में वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र के अनुतोष खंड / प्रार्थना में वर्णित वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हों तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उक्त तथाकथित रास्ते को अवरूद्ध कर देने पर वे उक्त रास्ता बहाल करवाने के अधिकारी हों, ऐसा भी प्रकट नहीं होता है। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 02 व 04 भी उक्तानुसार वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

13. <u>विवाद्यक संख्या—5 :—</u>

विवाद्यक संख्या—5 इस प्रकार से है कि :—

(5) आया वादीगण का वाद, धारा 80 जा.दी. के नोटिस की पालना के अभाव में पोषणीय नहीं है ?

—प्रतिवादीगण

उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। इस संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रतिवादीगण द्वारा दौराने दावा वादीगण का वाद, धारा 80 जा.दी. के नोटिस की पालना के अभाव में पोषणीय नहीं हो, इस संबंध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस भी वादीगण का वाद, धारा 80 जा.दी. के नोटिस की पालना के अभाव में पोषणीय नहीं हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसे में समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

14. **अनुतोष :—**

चूंकि वादीगण अपने पक्ष में विवाद्यक संख्या एक लगायत चार

को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं, इसलिये वादीगण वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं पाए जाते हैं तथा वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आ दे श</u>

15. परिणामतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा उभय पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगें। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(**आदित्य वशिष्ठ**)
सिविल न्यायाधीश
बूंदी (राज0)

16. निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(**आदित्य वशिष्ठ**)
सिविल न्यायाधीश
बूंदी (राज0)